

न्यायालय:- प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश अशोकनगर के न्यायालय के अतिरिक्त
न्यायाधीश, श्रंखला न्यायालय चंदेरी, जिला अशोकनगर, (म.प्र.)
(समक्ष – सैफी दाऊदी)

आपराधिक अपील क. 85/2015

संस्थित दिनांक 08.09.15

सी.आर.ए./35/2015

भगवत सिंह पुत्र सन्तोक सिंह यादव तत्कालीन
आयु 36 वर्ष, निवासी ग्राम खिरिया थाना
बामोरकला जिला शिवपुरी म.प्र.

----- अपीलार्थी/अभियुक्त
विरुद्ध

मध्य प्रदेश राज्य द्वारा खाद्य निरीक्षक डी.आर.
पाराशर, जिला गुना म.प्र.

----- प्रत्यर्थी/अभियोजक

अपीलार्थी/अभियुक्त द्वारा	:- श्री इंदरीश पठान अधिवक्ता।
प्रत्यर्थी/अभियोजन द्वारा	:- श्री मुकेश राजपूत अपर लोक अभियोजक।

—:: निर्णय ::—

(आज दिनांक को पारित किया गया)

1. अपीलार्थी/अभियुक्त (जिसे इसमें इसके पश्चात् अभियुक्त संबोधित किया जाएगा) ने वर्तमान अपील श्री दीपक चौधरी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी द्वारा आपराधिक प्रकरण क्रमांक 252/2001 मध्य प्रदेश राज्य द्वारा खाद्य निरीक्षक डी.आर. पाराशर विरुद्ध भगवत सिंह में पारित निर्णय एवं दंडादेश दिनांक 18.08.2015 के विरुद्ध प्रस्तुत की है, जिसके अधीन अभियुक्त को खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम की धारा 16 (1), ए(i) के सिद्धदोष आरोप में एक वर्ष के कठोर कारावास एवं 2,000/- (दो हजार रुपये) के अर्थदण्ड से एवं अर्थदण्ड के व्यतिक्रम में दो माह के अतिरिक्त कारावास के दंडादेश से दंडित किया है, के विरुद्ध वर्तमान आपराधिक अपील धारा 374 दं.प्र.सं. के प्रावधानान्तर्गत प्रस्तुत की गयी है।

2^ण प्रकरण में कोई स्वीकृत तथ्य नहीं है।

3. विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अभियोजन प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार रहा है कि अभियोगी खाद्य निरीक्षक डी.आर.पाराशर उडनदस्ता गुना म.प्र. ने

दिनांक 09.09.2000 को सुबह 11.30 बजे चंदेरी स्थित जैन स्वीट्स के पास खाद्य पदार्थों की जांच हेतु उपस्थित हुआ था। उसी समय आरोपी भगवत को एक ठेला पर रखकर एक टंकी में दूध विक्रय हेतु लाते पाया, तभी अभियोगी खाद्य निरीक्षक डी.आर. पाराशर द्वारा आरोपी भगवत को रोककर अपने नाम एवं पद से अवगत कराकर टंकी के दूध को ठेला से उतरवा कर जैन स्वीट्स पर रखा और टंकी के दूध का निरीक्षण किया तथा अभियोगी खाद्य निरीक्षक डी.आर.पाराशर द्वारा आरोपी भगवत से दूध के बारे में जानकारी चाही, उसने बताया कि वह ग्राम खिरिया से दूध उत्पादन कर जैन स्वीट्स पर विक्रय करने हेतु लाया है। जब अभियोगी द्वारा टंकी के दूध का निरीक्षण किया तथा दूध शंकास्पद होने पर दूध का नमूना जांच हेतु देने के लिए आरोपी भगवत सिंह को कहा और इस आशय का फार्म नंबर -6 भरकर मौके पर उपस्थित गवाह के समक्ष आरोपी भगवत सिंह को दिया, जिसकी एक प्रति पर प्राप्ति के हस्ताक्षर लिये तथा मौके पर उपस्थित गवाहों के हस्ताक्षर लिये। फार्म नंबर-6 मूल प्रकरण में संलग्न है।

4. आरोपी भगवत सिंह से एक टंकी जिसमें करीब 15 लीटर गाय का दूध होना बताया था। एक लीटर के नाप से दूध का समरस कर एक सूखे, साफ खाली जग में 750 मि.ली. गाय का दूध 9/-रुपये नगद देकर के क्रय किया तथा मूल्य की रसीद प्राप्त की। जो प्रकरण में संलग्न है। जग में क्रय किये गये 750 मि.ली. गाय के दूध को 3 सूखी, साफ खाली बोतलों में बराबर बराबर भरकर तथा प्रत्येक बोतल में 20-20 बूंद फोर्मलीन डालकर प्रत्येक बोतल को ढक्कन से बंद किया। प्रत्येक बोतल को रेपिंग पेपर में लपेट कर गोंद से चिपकाया तथा प्रत्येक बोतल पर लोकल हैल्थ अथॉरिटी जिला गुना के हस्ताक्षर युक्त कोड नंबर डी.आर.पी./2000 तथा क्रम संख्या 44/2000 तथा स्लिप नंबर 100552 की पेपर स्लिप के नीचे से उपर तक गोंद से चिपकाई तथा प्रत्येक बोतल को मजबूत धागे से बांधा तथा प्रत्येक बोतल पर आरोपी भगवत सिंह के हस्ताक्षर इस प्रकार कराये गये कि आधे हस्ताक्षर पेपर स्लिप और आधे हस्ताक्षर रैपिंग पेपर पर आये। तीनों बोतलों को नियमानुसार चपड़ी से सील बंद किया। तथा उक्त कार्यवाही का पंचनामा बनाया गया।

5. विक्रेता तथा गवाहों को पढ़कर सुनाया गया और उनके हस्ताक्षर प्राप्त किये। मूल पंचनामा तथा बिल मूल प्रकरण में संलग्न किये गये हैं। नमूने का एक सीलबंद भाग मय मेमोरेन्डम फॉर्म की एक प्रति के साथ दिनांक 11.09.2000 को एक सीलबंद पैकेट में रखकर पब्लिक एनालेस्ट भोपाल को रजिस्टर्ड पोस्ट से जांच हेतु भेजा। दिनांक 10.09.2000 को रविवार था तथा इसी दिनांक को मेमोरेन्डम फॉर्म की एक प्रति एक सीलबंद लिफाफे में रखकर पब्लिक एनालेस्ट भोपाल को रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजी। मेमोरेन्डम मूल तथा पोस्टर रसीद दो मूल संलग्न है।

6. नमूने के शेष दो भाग में दिनांक 11.09.2000 को मय मेमोरेन्डम फॉर्म की प्रतियों के साथ एक सीलबंद पैकेट में रखकर लोकल हैल्थ अथॉरिटी कार्यालय गुना में अग्रिम कार्यवाही हेतु जमा करायी तथा नमूना जांच हेतु पब्लिक एनालिस्ट भोपाल को

भेजा गया, जिसकी सूचना भी दी और सूचना पत्र पर ही नमूने के भाग प्राप्त होने की रसीद प्राप्त की। जो मूल प्रकरण में संलग्न है। नमूने का जांच प्रतिवेदन क्रमांक एफ. टी.एल./एच.पी./आर.376/2723, दिनांक 12.10.2000 को अभियोगी खाद्य निरीक्षक डी.आर.पाराशर लोकल हेल्थ अथॉरिटी द्वारा निर्देशित किया गया कि विक्रेता आरोपी भगवत सिंह से जांच हेतु लिये गये गाय के दूध का नमूना मिलावटी पाया गया है। अतः विक्रेता आरोपी भगवत सिंह के विरुद्ध स्थगना तैयार कर न्यायालय में पेश करने की स्वीकृति प्राप्त करने हेतु उक्त कार्यालय को प्रस्तुत करने को कहा। जांच प्रतिवेदन मूल तथ लोकल अथॉरिटी का मूल पत्र प्रकरण में संलग्न है, जिसके पश्चात आरोपी भगवत सिंह से लिये गये गाय के दूध के जांच प्रतिवेदन अनुसार उक्त गाय का दूध मिलावटी होने से मिलावटी दूध का संग्रह एवं विक्रय कर खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम की धारा 7(1) का अपराध किया, जो इसी अधिनियम की धारा 16(1), ए(i) के अंतर्गत दण्डनीय अपराध है। अतः विक्रेता आरोपी भगवत सिंह को दण्डित करने हेतु यह अभियोग पत्र विचारण न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

7. विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध धारा 7(1/16), 1, 1(b) खाद्य अपमिश्रण अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय अपराध के संबंध में आरोप विरचित किये गये। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अभियुक्त का अभिवाक् लेखबद्ध किया गया और अभियुक्त का परीक्षण अंतर्गत धारा 313 दं.प्र.सं. संपन्न किये जाने पर अभियुक्त ने स्वयं को निर्दोष होना अभिकथित करते हुए, अपनी प्रतिरक्षा में कोई साक्ष्य नहीं देना अभिकथित किया।

8. विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा उभयपक्ष की ओर से अभिलेख पर प्रस्तुत की गयी साक्ष्य का मूल्यांकन कर अभियुक्त पर निर्णय की कंडिका 1 में वर्णित दंडादेश अधिरोपित किया, उक्त दंडादेश के विरुद्ध ही वर्तमान आपराधिक अपील विचाराधीन है।

9. **अपीलार्थी/अभियुक्त की ओर से अपील इस आधार पर प्रस्तुत की गयी है कि** विचारण न्यायालय द्वारा विचारण के दौरान अभियोजन साक्षी डी.आर. पाराशर अ.सा.2 एवं साक्षी संजय जैन अ.सा.1 के कथनों से काफी विरोधभास रहा है संजय जैन अ.सा.1 ने डी.आर.पाराशर अ.सा.2 के कथनों का लेश मात्र भी समर्थन नहीं किया और न ही घटना के बारे में बताया और जांच प्रयोगशाला के समक्ष जांचकर्ता के कथन न्यायालय में नहीं कराये गये हैं। प्रकरण संभावनाओं पर आधारित है जिस पर विद्वान विचारण न्यायालय ने विश्वास कर अपीलार्थी को सिद्धदोष किये जाने में विधिक त्रुटि कारित की है। अन्य अभिवचन समाहित करते हुए अपील स्वीकार कर अपीलार्थी को दोषमुक्त किये जाने की प्रार्थना न्यायालय से की गयी है।

10. अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत किये गये तर्क के आलोक एवं अभिलेख पर विद्यमान साक्ष्य तथा विद्वान विचारण न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन एवं परिशीलन किये जाने पर यह अवधारणीय प्रश्न उद्भूत होते हैं कि :-

1. क्या विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अभियुक्त की दोषसिद्धि का दिया गया निष्कर्ष अभिलेखगत साक्ष्य एवं सुसंगत विधि के अनुकूल है ?" यदि हां तो"
2. क्या विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अभियुक्त को प्रदत्त दंडादेश विधि के अनुकूल है ?

साक्ष्य मूल्यांकन सह निष्कर्ष

अवधारणीय प्रश्न क्रमांक 1 :-

11. विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष अभियोजन की ओर से अभियोगी डी. आर.पाराशर अ.सा.2, संजय जैन अ.सा.1, जितेन्द्र सक्सेना अ.सा.3, का परीक्षण अंकित कराया है।

12. अपीलार्थी/अभियुक्त की ओर से न्याय दृष्टांत एस.पाठक बनाम स्टेट ऑफ़ एम.पी. वर्ष 2016 नोट (1) एम.पी.डब्ल्यू.एन. 120 पेज नंबर 256 प्रस्तुत कर अपील मेमो में अभिवाचित तथ्यों पर ही अपने तर्कों को अवलंबित किया गया है। जबकि अभियोजन की ओर से विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं दंडादेश को विधि अनुकूल होकर कोई विधिक त्रुटि कारित नहीं होना तथा उक्त निर्णय एवं दंडाज्ञा विधि अनुकूल होना अपने तर्कों में अवलंबित किया है।

13. जहां तक अभियोजन की ओर से प्रदर्श पी 12 की पब्लिक एनालिस्ट की रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी है जिसमें स्टार्च, यूरिया एवं अन्य न्यूट्रिलाईज डिटेजेंट मौजूद नहीं है और इस रिपोर्ट में जप्त शुदा दूध को अपमिश्रित होना किस आधार पर माना गया है यह तथ्य स्पष्ट नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त अभियोजन साक्षी संजय जैन अ.सा.1 स्वयं के समक्ष खाद्य निरीक्षक के द्वारा दूध कय न किये जाने के तथ्य को स्वीकार कर किसी साहब द्वारा हस्ताक्षर किया जाना अभिकथित कर अभियोजन प्रकरण का समर्थन नहीं करता है। अभियोजन साक्षी डी.आर.पाराशर अ.सा.3, अभियोजन साक्षी जितेन्द्र शर्मा अ.सा.3 के कथन प्रश्नगत अपराध को पंजीबद्ध करने के पूर्व उनके द्वारा की गयी कार्यवाही को प्रकट करते हैं ऐसी स्थिति में अभियोजन प्रकरण का समर्थन संजय जैन अ.सा.1 एवं पब्लिक एनालिस्ट की रिपोर्ट प्रदर्श पी 12 की अन्तर्वस्तु से प्रकट नहीं हो रहा है।

14. स्वयं परिवादी अपने प्रतिपरीक्षण की कंडिका 06 में इस तथ्य को प्रकट करता है कि गाय के दूध में भैंस के दूध से फैट कम होता है और गाय के दूध में फैट 3.5 प्रतिशत और भैंस के दूध में पांच प्रतिशत तक फैट होना यह साक्षी अपने कथन में प्रकट करता है।

15. खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के अंतर्गत यदि कोई वस्तु प्राकृतिक अवस्था में ही अमानक है और उसे मानवीय छेड़छाड़ द्वारा उसके प्राकृतिक स्वरूप को

परिवर्तित नहीं करते हुए उसके मूल प्राकृतिक स्वरूप में ही रखा गया है, तब उस वस्तु की अवस्था खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के प्रावधानांतर्गत अपवाद में सम्मिलित होने वाली अवस्था होगी और उसे अपमिश्रित नहीं माना जायेगा।

16. परिवादी उसके द्वारा अनुसरित विधिक प्रक्रिया का अभिकथन अपने मुख्य परीक्षण में अभिकथित करता है और उसी तारतम्य में प्रतिपरीक्षण किये जाने पर वह उक्त तथ्य की भी, कि गाय का दूध भैंस के दूध से पतला होता है, अभिकथित करता है। परिवादी के लिए यह आवश्यक था कि वह स्पष्ट रूपेण यह परिवादित करें कि वह आक्षेपित दूध को किस पशु का दूध होना अवधारित कर रहा है और उस पशु के दूध में खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के प्रावधानांतर्गत कितना मानक वसा उपस्थित होना चाहिए। वसा की मानक कोटि ही विभिन्न पशुओं के दूध के मध्य खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम की विधिक कोटि है।

17. बकरी, गाय, भैंस, भेड़, उंट आदि दुधारू पशुओं के दूध में वसा की विद्यमानता ही उनके मध्य विभाजक रेखा है और वसा की विद्यमानता तथा उसका प्रतिशत ही उस पशु के दूध को प्राकृतिक अथवा अपमिश्रण निर्धारित करने की कोटि है और जहां उक्त कोटि को परिवाद में निर्धारित ही नहीं किया गया है और जहां पब्लिक एनालिस्ट की रिपोर्ट भी इस तथ्य के लिए मौन है कि किन तथ्यों के आधार पर नमूना अपमिश्रित धारित किया है, वहां प्रदर्श पी 12 पब्लिक एनालिस्ट की रिपोर्ट प्रथम दृष्टया अनुभव, अनुमान अथवा अटकल के आधार पर अभिलिखित रिपोर्ट होने के तथ्य से इंकार नहीं किया जा सकता और जहां कि उक्त रिपोर्ट में जांच किये गये दुग्ध का गाय का दुग्ध होना अभिलिखित किया गया है और उसमें विद्यमान वसा का प्रतिशत 9.5 प्रतिशत एवं दुग्ध के ठोस अवयवों का 7.49 प्रतिशत विद्यमान होना और इस प्रतिशत का खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के मानक अनुरूप नहीं होना दर्शित किया गया है वहां मात्र रिपोर्ट के आधार पर की गयी दोषसिद्धि स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

अवधारणीय प्रश्न क्रमांक 2 :-

18. उपर्युक्त सकल विवेचना उपरांत विद्वान विचारण न्यायालय ने अभियुक्त भगवत को अपमिश्रण निवारण अधिनियम के अंतर्गत दोषसिद्ध किये जाने में विधिक त्रुटि कारित की है, जो स्थिर रखे जाने योग्य नहीं होने से अपास्त कर अभियुक्त भगवत पुत्र को अपमिश्रण निवारण अधिनियम की धारा 7(1/16), 1.1(b) से दोषमुक्त कर स्वतंत्र किया जाता है। तदनुसार अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है।

19. अभियुक्त के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

20. प्रकरण में जप्तशुदा मुद्देमाल अपील अवधि पश्चात् अपील न होने की दशा में नष्ट किया जाये।

21. अभियुक्त द्वारा विद्वान विचारण न्यायालय में जमा कराई गयी अर्थदंड की

राशि उन्हें अपील अवधि पश्चात् लौटायी जाये।

22. तदनुसार अपील निराकृत की जाती है।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित, मेरे उद्बोधन पर टंकित किया
हस्ताक्षरित, एवं घोषित गया। गया।

(सैफी दाऊदी)

प्र.अ. सत्र न्यायाधीश अशोकनगर
के न्यायालय के अति. न्यायाधीश,
श्रंखला न्यायालय चंदेरी
अशोकनगर (म.प्र.)
दिनांक— 27.02.18

(सैफी दाऊदी)

प्र.अ. सत्र न्यायाधीश अशोकनगर
के न्यायालय के अति. न्यायाधीश
श्रंखला न्यायालय चंदेरी
अशोकनगर (म.प्र.)